dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक–3645/12-1 दिनांक, चकराता 17 अप्रैल 2018

सेवा में,

विंध्या टेलीलिंक्स लि0,
ई–237, फेज–8बी, मोहाली,
चण्डीगढ़।

विषय– **जनपद–देहरादून के अन्तर्गत कालसी–27 से कोरूवा (कुल दूरी–19.00 किमी0) (0.57 है0) तक ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु (लगभग 35 पोल/किमी0) विंध्या टेलीलिंक्स लि0 (Vindhya Telelinks Limited) को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

संदर्भ – अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक–3288 दि0 26.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरण मे संदर्भित पत्र से प्राप्त उत्तराखण्ड शासन, पर्यावरण एवं वन अनुभाग–4, देहरादून की पत्र सं0–273/एक्स–4–17/1(59)/2018 दि0 16.03.2018 से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त सं0–1 के अनुपालन में, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा देय धनराशियों का विवरण निम्नवत् है –

क्र0सं0	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल/लम्बाई	दर	देय धनराशि
1	प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 100 पौधों का 10 वर्षो के अनुरक्षण पर व्यय	–	–	66,700.00

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार ऑनलाईन चालान जनरेंट कर देय धनराशियों के भुगतान हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त सं0–2 के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक– 3645/12-1 तद्दिनॉकित

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

CIC

NEW 3318

Scanned by CamScanner